छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-9

नवा रायपुर अटल नगर, गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026

(फाल्गुन 21, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

आज के प्रश्नोत्तर में श्री विजय शर्मा, (उप मुख्यमंत्री) के स्थान पर श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री अधिकृत रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 75 तारांकित एवं 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय सभापति ने माननीय सदस्य, श्री बालेश्वर साहू को उनके जन्म दिवस पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक लॉ/762/2025 कॉम. कोऑप. एण्ड आरसीएस, दिनांक 13 फरवरी, 2026,

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 तथा

(3) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) की धारा 68 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल/370/2025-एमईडी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद् नियम, 2025,

पटल पर रखे।

4. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला बाल विकास मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. पृच्छा

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने "प्रदेश में घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि एवं आपूर्ति में हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति" की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय सभापति ने स्थगन प्रस्ताव का विषय भारत सरकार से संबंधित होने के कारण स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए गए।)

(लगातार व्यवधानवश सभा की कार्यवाही 12.09 बजे स्थगित की जाकर 12.18 बजे समवेत हुई)

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

गुरूवार, 12 मार्च, 2026

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेश बघेल एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की पुन: मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया।

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इंद्रशाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य ने मुंगेली जिला एवं अन्य जिलों से जोड़ने वाली सभी सड़कों के जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित किया ।

8. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्रीमती चातुरी नंद, श्री लखेश्वर बघेल सदस्य ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण की योजनाओं का चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वयन में होने वाली समस्याओं की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

10. नियम 267- "क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267- "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. डॉ.चरणदास महंत
2. श्री दिलीप लहरिया
3. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
4. श्री देवेन्द्र यादव
5. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक - 03)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
2. (क्रमांक - 08)	श्री लखेश्वर बघेल	30 मिनट
3. (क्रमांक - 05)	श्री पुन्नूलाल मोहले	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री दिलीप लहरिया
2. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
3. श्री ललित चन्द्राकर
4. श्री इन्द्रशाह मण्डावी

13. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या-34, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 55 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-34 पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, **मांग संख्या-55** पर श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती गोमती साय,

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

गुरूवार, 12 मार्च, 2026

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या-19, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-79, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती शेषराज हरवंश **मांग संख्या-79** पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री किरण देव, राघवेन्द्र कुमार सिंह,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री ललित चन्द्राकर, अटल श्रीवास्तव, दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री दिलीप लहरिया, ईश्वर साहू, कुंवर सिंह निषाद, लखेश्वर बघेल, इन्द्रशाह मण्डावी, प्रणव कुमार मरपची, भोलाराम साहू, दीपेश साहू, प्रेमचंद पटेल, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्री आशाराम नेताम, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्री विनायक गोयल, श्रीमती अंबिका मरकाम,

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सर्वश्री प्रबोध मिंज, रोहित साहू, रामकुमार यादव, ब्यास कश्यप, सुशांत शुक्ला, विक्रम मण्डावी, नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत,

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-11, श्रम से संबंधित मांग संख्या-18 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-11 पर डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, जनक ध्रुव, **मांग संख्या-18** पर डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री जनक ध्रुव के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत ने अनुरोध किया कि अनुदान मांगों में चर्चा पर प्रतिपक्ष के जो सदस्य कटौती प्रस्ताव दें, उन्हें ही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस पर माननीय सभापति ने कहा कि आपका आशय माननीय सदस्यों की संसदीय कार्यों में सक्रियता से है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य आपका आशय समझ गए होंगे।)

14. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अनुज शर्मा, इन्द्रशाह मण्डावी, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह,

15. सदन को सूचना

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- मांग संख्या-7 के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो बात रखी गयी उसके संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि बजट में मांग संख्या-7, जो 3 विभागों, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन तथा मुद्रांक) तथा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से संबंधित है इसकी राशि एक-साथ सम्मिलित है । चूंकि तीनों विभागों की राशि की मांग संख्या-7 में समग्र रूप में राशि होने के कारण अलग-अलग विभागवार राशि को स्वीकृति हेतु रखा जाना संभव नहीं है इसलिये कल दिनांक 11.03.2026 को माननीय वित्तमंत्री के विभागों के साथ मांग संख्या-7 की राशि को भी स्वीकृति हेतु रखा गया था । पूर्व में पंचम विधानसभा में तीनों विभाग, 3 अलग-अलग मंत्रियों के पास होने के कारण उस समय भी यह प्रक्रिया अपनायी गयी थी एवं पूर्व में भी तत्संबंधी व्यवस्था सभा में दी जा चुकी है ।

16. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, दीपेश साहू, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी,

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-8, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-9, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या-58, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-44 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-8 पर डॉ. चरणदास महंत, श्री दलेश्वर साहू, **मांग संख्या-9** पर डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-35** पर डॉ. चरणदास महंत, **मांग संख्या-44** पर डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री दिलीप लहरिया, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह, जनक ध्रुव, श्रीमती चातुरी नंद, **मांग संख्या-58** पर डॉ. चरणदास महंत के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से घोषणा की कि माननीय राजस्व मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की सहमति से कल दिनांक 13 मार्च, 2026 को ली जायेगी।)

(रात्रि 8.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा